न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010026282025

Sessions Case/472/2025

राज्य-----------------------------------**अभियोजक**

बनाम

1. (**मृतक**)जानू उर्फ जान मोहम्मद पुत्र स्व० चिनकान साकिन पुरैना, थाना शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर।

2. हस्साम अनवर खान पुत्र अशफाक अहमद खान साकिन कोड़रा ग्राण्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

3. असगर उर्फ किनकिन पुत्र कतीवन बंजारा निवासी गोपीजोत थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

4. अकबर उर्फ गूठे पुत्र हजारी बंजारा साकिन गोपीजोत थाना–मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

---**अभियुक्तगण**

मुकदमा अपराध सं०–33/2025
अंतर्गत धारा–303(2), 61(2) बी०एन०एस० व
धारा–3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम
थाना– चिल्हिया,
जनपद– सिद्धार्थनगर

निर्णय

1. अभियुक्तगण जानू उर्फ जान मोहम्मद, हस्साम अनवर खान, असगर उर्फ किनकिन व अकबर उर्फ गूठे के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–303(2), 61(2) बी०एन०एस० व धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के तहत, थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक–25.08.2025 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय से स्थानान्तरण द्वारा पत्रावली इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई।

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.25 17:26:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. वादी मुकदमा राजेश दास पुत्र चिन्नी लाल द्वारा थाना चिल्हिया में थाना प्रभारी चिल्हिया को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांकित–06.04.2024 प्रस्तुत किया गया कि,–

"प्रार्थी राजेश दास पुत्र चिन्नी लाल निवासी बचड़ा–बचड़ी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी हूँ। आज रात में मेरे कुत्ते भौंक रहे थे तब मैं जगा तो देखा मेरे गौशाला से एक गाय व बछड़ा गायब था जिसको मैं काफी खोजा जब नहीं मिली तो 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया तो उनको साथ लेकर खोजते – खोजते भट्टे के तरफ गया तो जहाँ ईटा पाथा जाता है वहीं पर मेरी गाय व बछड़ा कटा हुआ मिली, तब मैं थाने पर सूचना देने आया हूँ। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ”

3. वादी मुकदमा राजेश दास की उक्त तहरीर के आधार पर थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर में मु०अ०संख्या–33/2025, अन्तर्गत धारा–303(2) बी०एन०एस० व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात के विरूद्ध दिनांक–06.04.2025 को दर्ज किया गया।

4. उक्त मुकदमे की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी व अन्य साक्षीगण के बयान लिये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण जानू उर्फ जान मोहम्मद, हस्साम अनवर खान, असगर उर्फ किनकिन व अकबर उर्फ गूठे के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–303(2), 61(2) बी०एन०एस० व धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। **विचारण के दौरान अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद की मृत्यु हो गयी है। जिसके संबंध में सी०डब्लू०–1 के रूप में उपनिरीक्षक अमला यादव वर्तमान तैनाती थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर का बयान अंकित किया गया है। दिनांक–22.01.2026 को अभियुक्त उपरोक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी।**

5. विचारण के दौरान दिनांक–27.01.2026 को अभियुक्तगण हस्साम अनवर खान, असगर उर्फ किनकिन व अकबर उर्फ गूठे के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–303(2), 61(2) बी०एन०एस० व धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Manojbhai Jethabhai Parmar(Rohit) V. The State of Gujarat 2025 INSC 1433 के मामले में पारित विधि व्यवस्था के अनुरूप अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नांकित हैं–

क्र.सं.	प्रपत्र का विवरण	प्रदर्श सं०	सत्यापन कर्ता
1.	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2.	तहरीर	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–2
3.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट का०सं०–8 क/5	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–3
4.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट का०सं०–8 क/56	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–3
5.	एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–4
6.	कायमी पर	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–4
7.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–6
8.	आरोप पत्र पर	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–6

क्र. सं.	वस्तु का विवरण	वस्तु प्रदर्श सं०	सत्यापन कर्ता
1.	वीडियों ग्राफी सीडी पर	वस्तु प्रदर्श–1	पी०डब्लू०–1
2.	कागज के लिफाफे पर	वस्तु प्रदर्श–2	पी०डब्लू०–1
3.	नायलान की रस्सी पर	वस्तु प्रदर्श–3	पी०डब्लू०–1
4.	लकड़ी के ठीहा पर	वस्तु प्रदर्श–4	पी०डब्लू०–1
5.	सील वाले बोरे पर	वस्तु प्रदर्श–5	पी०डब्लू०–1
6.	छूरी पर	वस्तु प्रदर्श–6	पी०डब्लू०–1
7.	सील बन्द सफेद कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–7	पी०डब्लू०–1
8.	लोहे की छूरी पर	वस्तु प्रदर्श–8	पी०डब्लू०–1
9.	सफेद कपड़े पर	वस्तु प्रदर्श–9	पी०डब्लू०–1

7. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी०डब्लू०–1	उ०नि० रामदेव	फर्द लेखक
पी०डब्लू०–2	राजेश दास	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–3	डॉ० राजबहादुर यादव	चिकित्सक
पी०डब्लू०–4	का० मोहर्रिर राहुल विश्वकर्मा	एफ०आई०आर०लेखक
पी०डब्लू०–5	कांस्टेबल विजय शंकर पाण्डेय	तथ्य का गवाह
पी०डब्लू०–6	उ०नि० सर्वेश चन्द	विवेचक

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक–13.03.2026 को हस्साम अनवर खान, असगर उर्फ किनकिन व अकबर उर्फ गूठे का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया एवं सफाई साक्ष्य न देने का कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

9. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित किया गया है या नहीं, इस सम्बन्ध में उनके बयानों का संक्षेप में उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

10. साक्षी पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक रामदेव वर्तमान तैनाती थानाध्यक्ष गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक–19.05.2025 को थानाध्यक्ष चिल्हिया के पद पर तैनात था। इसी दिन मैं तथा अपने हमराहियान उपनिरीक्षक सर्वेश चन्द, का. दिनेश यादव, का. आलोक यादव, का. सिकन्दर यादव मय सरकारी वाहन नं. यू.पी.70 ए.जी. 3174 के देख भाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित वारण्टी करता हुआ गौराबाजार में मौजूद था कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि दिनांक–5/6–04.2025 की रात में ग्राम बचडा बचडी में गोहत्या में शामिल अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन जो घटना के बाद से फरार था वह बर्डपुर से गौरा बाजार की तरफ पैदल आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए हमराहियान को मकसद बताते हुए मुखबिर को साथ लेकर ग्राम लेदवा के सामने पक्की सड़क के किनारे बने तालाब के पास पहुंचे कि एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर खास उसकी तरफ इशारा करके हट गया। हम पुलिस वाले उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचे तो हम पुलिस वालों के देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहा कि हमराहियान की मदद से मौके पर ही घेर कर पकड लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम असगर उर्फ किनकिन पुत्र कतिवन बन्जारा निवासी गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 50 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए कपड़े के अलावा कोई अन्य शय बरामद नहीं हुआ तथा बताया कि साहब मैं आप लोगों को देखकर पकड़े जाने के डर से भाग रहा था।

11. कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि मैं तथा मेरे गाँव का गूठे उर्फ अकबर मिलकर दिनांक–5/6.04.2025 की रात में ग्राम बचडा बचडी के ईट भट्टे के मुन्सी जानू पुत्र चिनकान के कहने पर रामजानकी मन्दिर बचडा बचडी के पुजारी की एक गाय व एक बछडा को चोरी से खोलकर हम लोग भट्ठे के उत्तर तरफ कुछ दूरी पर सूनसान स्थान पर ले जाकर जानवरों का पैर रस्सी से बांधकर दोनों को एक ही स्थान पर काट दिये थे। मौके पर भट्ठा मुन्सी जानू भी मौजूद था। हम लोग चमडा निकालने जा रहे थे तब तक गाँव की तरफ से कुछ कुत्ते भौंकते हुए हम लोगो के नजदीक आ गये, हम लोग पकड़े जाने के डर से अपना हलबा हथियार एक पलास्टिक के बोरे में रखकर लेकर वहां से भाग लिये, भागते समय रास्ते में कुछ ही दूरी पर पुलिया के पास झाडी में अपना हलवा हथियार ठीहा, छूरी, रस्सी वहीं पर फेक कर भाग गये थे। यदि आप कहे तो चलकर वह स्थान दिखा सकता हूँ व हलबा

हथियार बरामद करा सकता हूँ। पकडे गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 03.05 बजे भोर में हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी नावक्त होने के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही हेतु नहीं मिला। बाला वाला अभियुक्त को साथ लेकर उसके बताये हुए स्थान पर पहुँचें तो ग्राम बचडा बचडी गांव के उत्तर तरफ नाले पर बनी पुलिया के पास झाडियों में आगे आगे चलकर अपना फेंका हुआ हलबा हथियार दिखाकर बरामद कराया जिसे पुलिस कब्जे में लिया गया जिसका हुलिया इस प्रकार है। एक छूरी जिसका फल 15 अन्गुल लम्बा व पांच अन्गुल चौडा था जिसके ऊपर लोहे की चांप लगी हुई थी जो रिपिट से कसा हुआ था जिसके बेट लोहे की लम्बाई 6 अन्गुल थी जो रिपिट से कसा हुआ था। दूसरी छूरी का फल 13 अन्गुल लम्बा तथा 3 अन्गुल चौडा था जिसके ऊपर लोहे की चाप लगी थी जो वेल्डिगं से जुडा हुआ था जिसकी बेत लोहे की लम्बाई 6 अन्गुल थी जो बेल्डिंग से जुडा हुआ था। एक अदद लकड़ी का ठीहा जिसकी उंचाई 10 अन्गुल व चौडाई 13 अन्गुल थी। एक अदद रस्सी नायलान की पुरानी मटमैली जिसकी लम्बाई 19 हाथ थी बरामद हुआ था। बरामद छूरी को अलग अलग सफेद कपड़े में सील सर्वमोहर किया गया था तथा लकड़ी के ठीहा व रस्सी को उसी प्लास्टिक के बोरे में जिसमें बरामद हुआ था रखकर सील सर्वमोहर किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान मा. राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग व मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी की नियमानुसार वीडियोग्राफी करायी गयी थी। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मौके पर ही सरकारी वाहन व टार्च की रौशनी में मेरे द्वारा बोलकर उपनिरीक्षक सर्वेश चन्द से लिखवाई गयी थी।

12. फर्द लिखकर पढ़कर सुनाकर मौके पर ही सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पत्नी को दी गयी थी। फर्द की प्रति भी अभियुक्त को दी गयी थी जिसे अभियुक्त ने मौके पर ही फाड़कर फेक दिया था। फर्द बरामदगी शामिल पत्रावली कागज संख्या 10क/1 लगायत 10क/3 है जिसपर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। वीडियो ग्राफी की सी.डी. एक सफेद लिफाफे में पैक शामिल पत्राबली है जिसका कागज संख्या 11क है जिसे मा. न्यायालय के आदेशानुसार खोला गया जिसमें एक अदद सीडी पाया गया जिसपर मु.अ.स. 33/2025 धारा 303(2), 61(2) बी.एन.एस व धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थगर अंकित होना पाया गया जिसे देखकर साक्षी ने बताया यही वह वीडियोग्राफी की सी.डी. है जिसे मैने बरामदगी के समय तैयार कराया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। सी.डी पर वस्तु प्रदर्श–1 व कागज के सफेद लिफाफे पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। आज थाना चिल्हिया के सम्बन्धित पैरोकार का. अंकित वर्मा द्वारा

सम्बन्धित माल मुकदमाती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो एक प्लास्टिक के बैगनी व सफेद रंग को बोरे में सील सर्वमोहर हालत में है जिस पर मु.अ.स. 33/2025 धारा 303 (2), 61 (2) बी.एन.एस व धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थगर से बरामद घटना में प्रयुक्त एक अदद रस्सी नायलान व एक अदद लकडी का ठीहा व अपठनीय हस्ताक्षर दिनांकित–19.05.2025 सर्वेश चन्द थाना चिल्हिया जनपद सि.नगर अंकित होना पाया गया, जिस पर अभियुक्त असगर का निशानी अंगूठा लगा हुआ पाया गया। मा. न्यायालय के आदेशानुसार उक्त सील शुदा बोरे को खोला गया जिसमें एक अदद नायलान की रस्सी मटमैले रंग की व एक अदद लकडी का ठीहा पाया गया जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही नायलान की मटमैली रस्सी व लकडी का ठीहा है जिसे मैने अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद किया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ नायलान की रस्सी पर वस्तु प्रदर्श–3 व लकडी के ठीहा पर वस्तु प्रदर्श–4 तथा सील वाले बोरे पर वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। सफेद कपडे में लिपटा हुआ सील सर्वमोहर हालत में जिसपर मु.अ.स. 33/2025 धारा 303(2), 61(2) बी. एन. एस व धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थगर से सम्बन्धित अभि. असगर से बरामद चाकू घटना में प्रयुक्त अपठनीय हस्ताक्षर दिनांकित–19.05.2025 निशानी अंगूठा असगर लिखा हुआ पाया गया जो सी.जे.एस.डी./ए.सी.जे.एम. एस.डी. आर दिनांकित–19.05.2025 द्वारा सीन होना अंकित है।

13. माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सील को खोला गया जिसमें एक अदद लोहे का छूरी पायी गयी जिसको देखकर साक्षी ने बताया यह वही छूरी है जो अभियुक्त असगर के निशानदेही पर मैने बरामद किया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिसपर वस्तु प्रदर्श–6 डाला गया तथा सील बन्द सफेद कपडे पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया। दूसरी छूरी जो सफेद कपडे में शील सर्वमोहर हालत में जिसपर मु.अ.स. 33/2025, धारा 303(2), 61(2) बी.एन.एस. व धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम थाना चिल्हिया जनपद सि.नगर से सम्बन्धित अभि. असगर से बरामद चाकू घटना में प्रयुक्त अपठनीय हस्ताक्षर दिनांकित–19.05.2025 निशानी अंगूठा असगर लिखा हुआ पाया गया जो सी.जे.एस.डी./ए.सी.जे.एम. एस.डी.आर दिनांकित–19.05.2025 द्वारा सीन होना अंकित है जिसे मा. न्यायालय के अनुमति से खोला गया जिसमे एक अदद लोहे की छूरी पायी गयी जिसे साक्षी ने देखकर बताया कि यह भी वही छूरी है जिसे मैंने अभियुक्त असगर के निशानदेही पर बरामद किया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। लोहे की छूरी पर वस्तु प्रदर्श–8 व सफेद कपडे पर वस्तु प्रदर्श –9 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

14. साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश दास पुत्र श्री चिन्नीलाल साकिन राम जानकी मंदिर बचड़ी बचड़ा थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "घटना हुए आज से लगभग 10 माह हुआ। घटना की रात में समय करीब 1 बजे मेरे कुत्ते भौंक रहे थे तो मैं जगा तो देखा कि मेरे गौशाला में से एक गाय और एक बझड़ा गायब थे। जिसको मैंने काफी खोजा जब नहीं मिला तो 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया तो उनको साथ लेकर खोजते हुए भट्ठे की तरफ गया तो देखा कि जहां ईंटा पाथा जाता है वहीं पर मेरी गाय व बछड़ा कटे हुए मिले। जिसे देखकर मैं काफी घबरा गया और तब मैं थाने पर जाकर उक्त घटना की सूचना दिया। साक्षी को तहरीर शामिल पत्रावली कागज सं०–4 क/4 दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि यही दरखास्त मैंने एक अज्ञात व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर दिया था। जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा हुआ है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

15. साक्षी पी०डब्लू०–3 डॉ० राजबहादुर यादव वर्तमान तैनाती उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नौगढ़ सदर सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–06.04.2025 को राजकीय पशु चिकित्सालय नौगढ़ में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकार के पद पर तैनात था। इसी दिन एक गाय उम्र लगभग 2 वर्ष 6 माह (क्रास ब्रीड) रंग काला का पोस्टमार्टम एस.ओ. चिल्हिया तहसील शोहरतगढ़ की रिक्वेस्ट पर दिनांक 06.04.2025 को समय 7:05 AM पर मैं तथा मेरी संयुक्त टीम के डॉ० प्रदीप और डॉ० देवेद्र द्वारा किया गया था।

16. **बाह्य परीक्षण...**

(1). नांक से पानी आ रहा था तथा जीभ बाहर निकला हुआ था।

(2). आँख खुली पायी गयी थी।

(3). बॉडी में अकड़न मौजूद थी।

(4). गले पर धारदार हथियार से कटने का निशान था।

17. **आंतरिक परीक्षण.....**

(1). गले की ट्रैकिया कंजेस्टेड और ह्यूमोरेज पाया गया था।

(2). लंग्स कंजेस्टेड था,

(3). हर्ट कंजेस्टेड था।

(4). आंत की रियूमैन गैस से फूला हुआ था।

(5). यूरिनरी ट्रेक्ट कंजेस्टेड था।

(6). गले पर कटे हुए स्थान से खून निकल रहा था।

18. मेरी राय में अधिक रक्तस्राव के कारण हृदय गति रुकने व श्वास के फेलियर होने से शॉक के कारण उसकी मौत हो गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं०–8 क/5 है। जो मेरी तथा संयुक्त टीम के निर्देशन में तैयार की गयी है। जिस पर मेरा भी हस्ताक्षर बना है। जिसकी में पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इसी दिनांक 06.04.2025 को एक बछड़ा उम्र लगभग 3 वर्ष 6 माह (क्रास ब्रीड) रंग काला का पोस्टमार्टम एस.ओ. चिल्हिया तहसील शोहरतगढ़ की रिक्वेस्ट पर दिनांक 06.04.2025 को समय 7:20 AM पर मैं तथा मेरी संयुक्त टीम के डॉ० प्रदीप और डॉ० देवेद्र द्वारा किया गया था।

19. **बाह्य परीक्षण...**

(1). नांक से पानी आ रहा था तथा जीभ बाहर निकला हुआ था।

(2). आँख खुली पायी गयी थी।

(3). बॉडी में अकड़न मौजूद थी।

(4). गले पर धारदार हथियार से कटने का निशान था।

20. **आंतरिक परीक्षण.....**

(1). गले की ट्रैकिया कंजेस्टेड और ह्यूमोरेज पाया गया था।

(2). लंग्स कंजेस्टेड था,

(3). हर्ट कंजेस्टेड था।

(4). आंत की रियूमैन गैस से फूला हुआ था।

(5). यूरिनरी ट्रेक्ट कंजेस्टेड था।

(6). गले पर कटे हुए स्थान से खून निकल रहा था।

21. मेरी राय में अधिक रक्तस्राव के कारण हृदय गति रुकने व श्वास के फेलियर होने से शॉक के कारण उसकी मौत हो गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं०–8क/6 है। जो मेरी तथा संयुक्त टीम के निर्देशन में तैयार की गयी है। जिस पर मेरा भी हस्ताक्षर बना है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। ”

22. साक्षी पी०डब्लू०–4 का० मोहर्रिर राहुल विश्वकर्मा वर्तमान तैनाती थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक–06.04.2025 को थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद तैनात था। इसी दिन मुकदमा वादी राजेश दास की लिखित तहरीर के आधार पर तथा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद के निर्देशानुसार मु०अ०सं०–33/2025, धारा 303(2) BNS तथा 3/5/8 सीएस एक्ट का मुकदमा मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया था। जो शामिल

पत्रावली कागज सं०–4 क/1 लगायत 4 क/3 है। जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद का हस्ताक्षर बना हुआ है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। इसी दिनांक–06.04.2025 को समय 3:15 बजे जीडी न०–5 पर मु०अ०सं०–33/2025, धारा 303(2) BNS व 3/5/8 सीएस एक्ट के मुकदमे की कायमी मेरे द्वारा टंकित की गयी। जो शामिल पत्रावली कागज सं०–4 क/8 है। जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

23. साक्षी पी०डब्लू०–5 कांस्टेबल विजय शंकर पाण्डेय वर्तमान तैनाती यू.पी. 112 कार्यालय, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक– 06.04.2025 को मेरी ड्यूटी यू.पी. 112 पी.आर.बी. 3567, थाना सिद्धार्थनगर पर लगी थी। मेरे साथ होमगार्ड चालक प्रेम नरायन दूबे की भी ड्यूटी लगी हुई थी। दिनांक–06.04.2025 को रात में 12.47 पर EVENT No. 626 पर सूचना मिली की राजेश दास की दो गाय गायब हो गयी है। इस सूचना पर मैं और होमगार्ड चालक प्रेम नरायन दूबे ग्राम बचडा बचडी राजेश दास के गौशाला पर पहुंचे व राजेश दास से पूछताछ की गयी तो बताया कि रात में गौशाला से दो गाय चोरी हो गयी है। राजेश दास के साथ मिलकर आस पास में खोज की गयी तो गौशाला से लगभग 300 मीटर दूर ईंट का भट्ठा जहां पर ईंट बनाया जाता है वहीं पर दो गौवंशीय जानवर जिसका गला कटा हुआ था मृत हालत में मिले। उसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी चिल्हिया को जरिए सी.ओ.जी. घटना की सूचना दिया गया। कुछ समय पश्चात थानाध्यक्ष महोदय मौके पर आये। कुछ समय पश्चात सी.ओ. साहब भी मौके पर आ गये थे। इस घटना का एफ.आई.आर. राजेश दास के द्वारा 06.04.2024 को ही दर्ज कराया गया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

24. साक्षी पी०डब्लू०–6 डॉ० उ०नि० सर्वेश चन्द वर्तमान तैनाती थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच ने अपनी मुख्य परीक्षा सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–06.04.2025 को थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर में उ०नि० के पद पर तैनात था। इसी दिन मु०अ०सं०–33/2025, धारा 303 (2) BNS व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना चिल्हिया की विवेचना मैंने ग्रहण किया था। इसी दिनांक को पर्चा न०–1 मेरे द्वारा किता किया गया। जिसमें नकल चिक, नकर रपट का अवलोकन किया गया, तथा इसी दिन एफआईआर लेखक कांस्टेबल मोहर्रिर द्वारा राहुल विश्वकर्मा व वादी मुकदमा राजेश दास का भी बयान अंकित किया गया, तथा इसी दिन वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया गया। जो शामिल पत्रावली कागज सं०–9 क है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि

करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनांक 07.04.2025 को पर्चा न०–2 किता किया गया। जिसमें पशु डॉक्टर व उनकी टीम का गठन के आदेश का अवलोकन किया गया तथा संबंधित पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दिनांक 09.04.2025 को पर्चा न०–4 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण जानू उर्फ जान मोहम्मद व भट्ठा मालिक हस्साम अनवर को गिरफ्तार किया गया, तथा गिरफ्तार किए हुए अभियुक्तगण जानू व हस्साम अनवर का बयान अंकित करके माननीय न्यायालय में रिमाण्ड प्रेषिक किया गया। दिनांक 15.04.2025 को पर्चा न०–9 किता किया गया, जिसमें गवाहान दुर्गेश यादव, बाबूलाल, विश्वनाथ पाण्डेय, रामविचारी. सैय्यद अली, अहमद अली का बयान अंकित किया गया।

25. दिनांक 20.04.2025 को पर्चा न०–14 किता किया गया। जिसमें गवाहान कर्मराज, पिताम्बर, दुक्खी का बयान अंकित किया गया। दिनांक 22.04.2025 को पर्चा न०– 15 किता किया गया। जिसमें साक्षीगण राकेश, भरतराज का बयान अंकित किया गया। दिनांक 28.04.2025 को पर्चा न०– 19 किता किया गया। जिसमें कांस्टेबल विजय शंकर पाण्डेय (डायल 112) व होमगार्ड प्रेमनरायण दूबे का बयान अंकित किया गया, तथा इवेंट नम्बर P06042500626 का अवलोकन किया गया। दिनांक 06.05.2025 को पर्चा न०– 23 किता किया गया। जिसमें घटनास्थल से सर्विलायन्स टीम द्वारा उठाए गए बीटीएस से संबंधित नम्बरों का उल्लेख किया गया। दिनांक 19.05.2025 को पर्चा न०– 28 किता किया गया। जिसमें प्रकाश में आए हुए वांच्छित अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन द्वारा बताया गया कि घटना में मेरे साथ मेरे ही गाँव के गूठे उर्फ अकबर भी शामिल था। हम लोगों ने दिनांक– 5/6.04.2025 की रात्रि में भट्ठे के बगल ग्राम बछड़ा–बछड़ी स्थित मंदिर से एक गाय एक बछड़ा चुराकर काटे थे, तथा इसी दिन फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी का अवलोकन किया गया, तथा गिरफ्तारी मेमो का अवलोकन कर संलग्न सीडी की गई। इसी दिन असगर उर्फ किनकिन का बयान अंकित कर रिमाण्ड हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

26. दिनांक 23.05.2025 को पर्चा न०– 30 किता किया गया। जिसमें अभियुक्तगण जानू, हस्साम अनवर, असगर उर्फ किनकिन की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दिनांक 01.06.2025 को पर्चा न०– 36 कित्ता किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष चिल्हिया श्री रामदेव व कासंटेबल आलोक कुमार यादव का बयान अंकित किया गया। दिनांक 04.06.2025 को पर्चा न०–37 किता किया गया, जिसमें कांस्टेबल सिकंदर कुमार व कांस्टेबल दिनेश कुमार यादव का बयान अंकित किया गया। इसी दिन वांच्छित अभियुक्त गूठे उर्फ अकबर की गिरफ्तारी का हुकम तहरीरी थानाध्यक्ष मोहाना को दिया गया। जिसका

अवलोकन किया गया। दिनांक 05.06.2025 को पर्चा न०–38 किता किया गया। जिसमें पतारसी, सुरागरसी करते हुए कोडरा ग्रान्ट पहुँचे, मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो मौजूद लोगों द्वारा अपना नाम पता न बताते हुए बताया कि ग्राम बचड़ा–बचड़ी के ईंट भट्टे पर जो घटना हुई थी उसमें केवल असगर उर्फ किनकिन व अकबर उर्फ गूठे सामिल थे, तथा भट्टे का मुंशी जानू भी मौजूद था। निसार सामिल नहीं था। दिनांक 09.06.2025 को पर्चा न०–39 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त अकबर उर्फ गूंठे को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो का अवलोकन किया गया।

27. दिनांक 10.06.2025 को पर्चा न०– 40 किता किया गया। जिसमें अकबर उर्फ गूठे के डाक्टरी परीक्षण का अवलोकन किया गया, तथा डॉक्टर संजय कुमार भारती का बयान अंकित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, बयान चिकित्सक व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण जानू उर्फ जान मोहम्मद व हस्साम अनवर के विरुद्ध धारा 303(2), 61(2) BNS व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन व गूठे उर्फ अकबर के विरुद्ध धारा 303(2) BNS व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम का अपराध बखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दिनांक 15.06.2025 को पर्चा न०– 41 किता किया गया। जिसमें क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पुनः विवेचना हेतु निर्देशित करते हुए आरोप पत्र वापस कर दिया गया। दिनांक 17.06.2025 को पर्चा न०– 43 किता किया गया। जिसमें सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 303(2), 61(2) BNS व 3/5/8 उत्तर प्रदेश – गोवध निवारण अधिनियम के तहत विवेचना प्रचलित की गई।

28. दिनांक 21.06.2025 को पर्चा न०– 48 किता किया गया। जिसमें डॉक्टर देवेन्द्र गौतम व डॉक्टर प्रदीप व डॉक्टर राजबहादुर यादव का बयान अंकित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, बयान चिकित्सक, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त निसार अहमद की नामजदी गलत पाई गई, तथा अभियुक्तगण जानू उर्फ जान मोहम्मद, हस्साम अनवर खान, असगर उर्फ किनकिन, अकबर उर्फ गूठे के विरुद्ध धारा 303(2), 61(2), बी एन एस व धारा 3/5/8 सी एस एक्ट के तहत अपराध बखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र पुनः माननीय न्यायालय मे प्रेषित किया गया। शामिल पत्रावली आरोप पत्र कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क 10 है, जो मेरे बोलने व निर्देशन में टंकित कराया गया। जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–8 डाला जावे।"

29. मैंने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

30. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क दिये गये हैं कि–

(i) अभियुक्तगण द्वारा दिनांक– 06.04.2025 को रात्रि लगभग 1 बजे अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षड्यन्त्र करते हुए एक गाय तथा बछड़े को चोरी कर उसका वध किया गया।

(ii) अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है उनकी साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है।

(iii) सहअभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के पास से गाय तथा बछड़े की हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी भी हुई है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

31. अभियुक्त हस्साम अनवर खान की ओर से तर्क दिये गये कि–

(i) उसका प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं था, न ही उसके पास से गोवंश अथवा उसको काटने का कोई हथियार बरामद हुआ है।

(ii) विवेचक ने बताया है कि घटनास्थल पर घटना वाले दिन हस्साम अनवर खान के उपस्थित होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं मिला।

(iii) विवेचक ने यह भी बताया है कि विवेचना के दौरान अभियुक्त हस्साम अनवर खान के विरूद्ध कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला था कि घटना से पूर्व हस्साम अनवर खान द्वारा घटना के सम्बन्ध में कोई बातचीत या योजना बनाई गयी हो।

32. अभियुक्त अकबर उर्फ गूठे की ओर से तर्क दिया गया कि–

(i) उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, उसकी संलिप्तता मात्र अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के बताने के आधार पर की गयी है।

33. अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन की ओर से तर्क दिया गया कि–

(i) अभियुक्त के पास से की गयी कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध संदेहजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

34. उभय पक्ष के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर निष्कर्ष आना आवश्यक है।

1– क्या दिनांक– 06.04.2025 को समस्त अभियुक्तगण द्वारा गौशाला से गाय व बछड़े को चुराकर उसका वध कारित किया गया ?

2– क्या अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन, जिसके पासे से कथित तौर पर हथियारों की बरामदगी दर्शित है, के साथ–साथ अन्य अभियुक्तों की भी प्रकरण में संलिप्तता है ?

3– क्या विवेचक द्वारा वास्तव में सभी अभियुक्तों के विरूद्ध सही विवेचना करते हुए सही साक्ष्य दिया गया है ?

35. उपरोक्त के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा अपना प्रकरण साबित करने के लिए प्रस्तुत किये गये साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षाओं में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा वहीं पी०डब्लू०–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि मुखबिर से जिस समय उसे असगर के बारे में जानकारी मिली थी उस समय वह गौरा बाजार में था। मुखबिर की सूचना मिलने का समय याद नहीं, रात्रि का समय था। उस समय उसके साथ अन्य पुलिसकर्मी भी थे। सूचना स्थल से गिरफ्तारी स्थल करीब एक डेढ़ किमी. था। जहाँ पर अभियुक्त को पकड़ा गया है वह सड़क पूरव से पश्चिम व पश्चिम दिशा की ओर गयी है। अभियुक्त को सड़क के किनारे पकड़ा गया था, लेकिन सड़क किनारे पटरी पर नहीं पकड़ा गया था। सड़क के दक्षिण किनारे पर पकड़ा गया था। जब अभियुक्त को पकड़ा गया तो अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया था तथा घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में खुलासा किया था।

36. साक्षी ने बताया कि इस बात का अलग से कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। गिरफ्तारी का कोई जनसाक्षी नहीं है। मुखबिर ने सूचना प्रत्यक्ष आकर दी थी। मुखबिर सूचना स्थल से पुलिस पार्टी के साथ अभियुक्त के गिरफ्तारी स्थल तक आया था। मुखबिर इशारा करके चला गया था। अभियुक्त को जब पकड़ा गया तब वह पैदल था। गिरफ्तारी स्थल से बरामदगी स्थल तक जाने में लगभग आधा घण्टा लगा होगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी की फर्द उसने बोल–बोलकर एस.आई. सर्वेश चन्द से लिखायी थी। फर्द सरकारी वाहन के बोनट पर ही रखकर लिखी गयी थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी की वीडियोग्राफी की गयी थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को उप०नि० सर्वेश चन्द ने दी थी। अभियुक्त ने फर्द पर अपना अंगूठा लगाया था। घटनास्थल से जो माल उसने बरामद किया था उस पर खून आदि के धब्बे नहीं दिख रहे थे। फर्द कितने पेज में लिखा गया था यह याद नहीं। फर्द लिखने से पहले गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, फिर कहा की गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही के बाद फर्द लिखी गयी।

37. पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसके गाय व बछड़े गायब थे दोनो काले रंग के थे। उसने घटना होते हुए अपनी आँख से नहीं देखा था। गाय को उसके घर से खोलकर ले जाते हुए नहीं देखा था। जानवर को गायब देखने पर उसने पुलिस को फोन

किया था। पुलिस आयी और इधर–उधर उसके साथ खोजी थी। गांव की उत्तर दिशा में भट्टे के बगल में गाय के कटे हुए अवशेष मिले थे, जहाँ ईंट पाथा जाता है। जहाँ गाय के अवशेष मिले थे वह जमीन उसके ही गांव के पातीराम की थी। उस जमीन में फसल नहीं बोयी जाती। ईंट की पथाई हो रही थी। जहाँ पर अवशे्ष मिले थे वह जगह सुनसान थी। घटना वाली रात में उसने थाने पर एक अज्ञात आदमी से दरखास्त लिखवाकर दी थी। करीब तीन या साढ़े तीन बजे रात के उसने दरखास्त लिखवाकर दिया था। इस घटना से पहले एक घटना और हुई थी उसके सम्बन्ध में उसने भट्टा मालिक व गांव वालों को सूचित किया था। इस घटना के बाद उसने भट्टा मालिक व गांव के किसी व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया था।

38. पी०डब्लू०–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसके द्वारा दो जानवरों का पी०एम० किया गया था। दोनों जानवरों के गले पर कटे का निशान था और पूरे शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जानवर के गले पर घाव का स्वभाव कैसा था उसने दर्ज नहीं किया था। जंगली जानवर के काटने से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से काटने का निशान था। पोस्टमार्टम जब किया गया था उससे लगभग तीन चार घण्टे के अन्दर की मृत्यु थी।

39. पी०डब्लू०–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि वादी मुकदमा द्वारा थाने पर जो तहरीर दी गयी थी उसमें जानवर का कोई विवरण रंग–रूप, उम्र आदि अंकित नहीं किया था। यह कहना गलत है कि "उच्चाधिकारियों के दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था"

40. पी०डब्लू०–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि कथित अपराध किसके द्वारा कारित किया गया इसका कोई साक्ष्य उन लोगों को नहीं मिला था।

41. पी०डब्लू०–6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा प्रथम सूचना का रिपोर्ट किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया गया था। विवेचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल पर वह पहुँचा तो उसको वहाँ कुछ नहीं मिला। दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्षी नहीं मिला जो यह बताया हो कि वादी मुकदमा के दरवाजे से मल्जिमान द्वारा गाय और बछड़े को चुराकर ले जाते हुए देखा। जिस स्थान पर वादी द्वारा गाय और बछड़े का शव पाया जाना बताया था वह स्थान खाली जगह थी। खेत किसका था वह नहीं बता सकता। घटना का खुलासा घटना के चार दिन बाद हुआ था। मुखबिर की सूचना के आधार पर उसने इस केस के अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद का बयान लिया था। जानू उर्फ जान मोहम्मद का बयान लेने से पहले उसे हिरासत में लिया था। जानू उर्फ जान मोहम्मद को हिरासत में लेकर जब उसका बयान लिया गया तो उसके बयान से अन्य अभियुक्तगण के नामों का खुलासा हुआ। इसी बयान के आधार पर घटना स्थल की बगल में स्थित भट्टा के मालिक हस्साम अनवर खान का नाम बतौर अभियुक्त विवेचना में शामिल किया गया। उसकी विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया

कि अनवर के भट्टे पर करीब 50 लोग मजदूरी आदि का काम करते हैं। भट्टे पर दिन रात काम होता है। कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं। **घटनास्थल पर घटना वाले दिन हस्साम अनवर खान(भट्ठा मालिक) के उपस्थित होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं मिला था।**

42. इस केस के मुख्य अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन तथा अकबर उर्फ गूठे से अभियुक्त हस्साम अनवर खान को कभी भी बातचीत करते या मोबाईल फोन से बात करने के सम्बन्ध में कॉल डिटेल आदि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसकी विवेचना के दौरान अभियुक्त हस्साम अनवर खान के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि घटना से पूर्व हस्साम अनवर खान द्वारा घटना के सम्बन्ध में कोई बातचीत या योजना बनायी गयी हो। घटना के बाद भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस केस में उसके द्वारा हथियार की बरामदगी भी की गयी है। हथियार बरामदगी के समय मुल्जिम की गिरफ्तारी की गयी थी और वह माल बरामदगी का भी गवाह है।

43. अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के बारे में मुखबिर की सूचना मिली तब वे लोग गौरा बाजार में थे। मुखबिर मोटरसाइकिल से आया और इशारा करके हट गया। अभियुक्त से माल बरामद हो जाने के बाद उसी गाड़ी में बैठाकर थाने लाया गया। मुल्जिम को पीछे की सीट पर नहीं बैठाया गया। मुल्जिम को पकड़कर कौन बैठा था ध्यान नहीं। अभियुक्त के पास से हथियार बरामदगी के बाद वहीं मौके पर बैठकर उसके द्वारा फर्द लिखा गया था। अभियुक्त के पास से बरामदगी के सम्बन्ध में वीडियोग्राफी की गयी थी। दौरान विवेचना घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं मिला था। जो भी बरामदगी की गयी है मुखबिर व अभियुक्त की निशानदेही पर की गयी है। हस्साम अनवर खान से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। हस्साम अनवर खान जहाँ रहते हैं वह घर नौगढ़ मुख्यालय पर होना दौरान विवेचना होना पाया गया। दौरान विवेचना साक्षियों के बयानों में यह बात स्पष्ट रूप से आयी है कि हस्साम अनवर ग्राम बछड़ा बछड़ी स्थित अपने भट्टे से दिन भर काम करने बाद रोजाना अपने घर लगभघ 4 बजे नौगढ़ चले जाते हैं और अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे आते हैं। घटना के दिन कोई भी साक्षी गाय और बछड़े को काटते हुए देखने वाला नहीं मिला था। "गूठे उर्फ अकबर का नाम सहअभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के बताने के आधार पर बढ़ाया गया था। इस अभियुक्त के खिलाफ अन्य कोई भी साक्ष्य घटनास्थल में संलिप्ता के सम्बन्ध में उसे प्राप्त नहीं हुआ था।" दिनांक– 18.05.2025 तक इसका नाम उसने विवेचना में सम्मिलित नहीं किया था।

44. इस पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं।

45. दिनांक–06.04.2025 की प्रातः लगभग 1 बजे राजेश दास की गौशाला से एक गाय और एक बछड़ा गायब हुआ जिसकी खोजबीन करने पर अभियुक्त हस्साम के ईंट भट्टे की तरफ जहाँ ईंटा पाथा जाता है वहीं पर वह गाय और बछड़ा कटा हुआ मिला। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के पश्चात् विवेचना में ईंट भट्टे पर काम करने वाले जानू उर्फ जान मोहम्मद, जोकि लम्बे समय से वहाँ काम कर रहा था उसकी गिरफ्तारी की गयी। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् उसके लिये गये बयान में उसने यह बताया कि "दिनांक–05/06.04.2025 की रात में निसार अहमद पुत्र सफाउल्लाह ग्राम रोशनजोत अपने तीन साथियों के साथ रात में ईंट भट्टे पर आये और भट्टे के बगल के मन्दिर से दो गाय जिसमें एक बछड़ा था तथा एक गाय थी चुराकर लाये और भट्टे पर ही जहाँ ईंट पाथा जाता है ले जाकर उनका गला काट दिया।"

46. जानू उर्फ जान मोहम्मद के धारा– 161 दं०प्र०सं० के बयानो के अनुसार "मैं भी मौके पर गाय का मांस खाने के लिए लेना चाहता था। मैं भी इसी लालच में वहीं पर था जैसे ही दोनों गायों का गला काटा गया तो कुत्ते भौंकने लगे तो हम लोगों ने सोचा की कोई आ रहा है तो डरकर सभी लोग वहाँ से भाग गये। मैं भी वहाँ से भागकर अपने रहने के स्थान जो भट्टे के पास में है आ गया। गाय को जिस चाकू से काटा गया उसको वे लोग अपने साथ लेकर भाग गये। साहब इस पूरी घटना की जानकारी भट्ठा मालिक अनवर को है उनकी ही सह पर यह घटना हुई है।"

47. इस प्रकार इस साक्षी के बयान से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैंः–

(ए)– इस साक्षी के अनुसार तीन अभियुक्तों, जिनके द्वारा उस गाय का गला काटा गया उनको अपने साथ में निसार अहमद पुत्र सफाउल्लाह ग्राम रोशनजोत थाना चिल्हिया लेकर आया था। निसार अहमद के अतिरिक्त उसके साथ आने वाले कथित तीन व्यक्तियों का नाम इसको मालूम नहीं था। निसार अहमद के साथ आने वाले तीन अन्य व्यक्तियों ने मिलकर गाय और बछड़े का गला काट दिया।

(बी)– निसार अहमद जोकि ज्ञात व्यक्ति था, जानू उर्फ जान मोहम्मद का परिचित था जिसके साथ तीन अज्ञात व्यक्ति आये थे उसको पुलिस विवेचना में दोषी नहीं पाया गया पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का०सं०–3 क/1 लगायत 3 क/20 जो प्रदर्श क–8 है इसे विवेचक सर्वेश चन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया जो थाना प्रभारी चिल्हिया और सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा न्यायालय प्रेषित किया गया। इसमें इस बात का उल्लेख है कि सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन से 1–जानू उर्फ जान मोहम्मद, 2–हस्साम अनवर खान, 3–असगर उर्फ किनकिन और 4–गूठे उर्फ अकबर के अलावा अन्य किसी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता नहीं पायी गयी जिस कारण निसार अहमद पुत्र सफाउल्लाह साकिन रोशनजोत, थाना

चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर की नामजदगी गलत पायी गयी। इस प्रकार पुलिस विवेचना में ही अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद जिसके कथनों के आधार पर हस्साम अनवर खान का नाम बढ़ाया गया था उसी के कथनों में स्पष्ट रूप से सभी अभियुक्तों और गाय तथा बछड़ा लाये जाने वाले निसार अहमद का नाम विवेचना से पृथक किया जाना अभियोजन कथानक को जानू के बयान के आधार पर तैयार किये गये केस को कमजोर करता है।

48. अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद का नाम भी उसके बयान के आधार पर इस बात पर आधारित था कि वह मांस के लालच में मौके पर रहा, परन्तु जानू के बयानों में जो उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् लिये गये हैं अभियुक्त हस्साम के सम्बन्ध में केवल यह अंकित किया गया कि पूरी घटनाक्रम की जानकारी भट्ठा मालिक अनवर को है उसकी ही सह पर यह घटना हुई है, परन्तु विवेचना में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि हस्साम को घटना के सम्बन्ध में जानकारी किस प्रकार से थी और उसके द्वारा किस प्रकार की सह ऐसे कृत्य के लिए दी गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि जब अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की गयी तो उसके बयान का अंकन भी किया गया जिसमें उसके द्वारा समस्त घटनाक्रम वर्णित किया गया, परन्तु उसके बयान के तुरन्त पश्चात ही अभियुक्त हस्साम की गिरफ्तारी की गयी लेकिन उसके बयान में किसी भी स्पष्ट चीज का वर्णन नहीं किया गया वरन् यह अंकित किया गया कि उसने अपने जुर्म से इन्कार किया और अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता देना बताया ।

49. इस प्रकार जब अभियुक्त जानू उर्फ जान मोहम्मद ने तीन अभियुक्तों को लाने वाले और उनके साथ में गाय बछड़ा लाने और उनका गला काटने वाले व्यक्ति के रूप में निसार अहमद का उल्लेख किया, परन्तु निसार अहमद के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जानू की बात को अविश्वसनीय माना गया। ऐसी स्थिति में जानू उर्फ जान मोहम्मद की बात को अभियुक्त हस्साम के सम्बन्ध में सटीक बनाने के लिए जो विवेचना की जानी चाहिए थी वह पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी।

50. इसके पश्चात् घटनाक्रम में अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के कब्जे से कथित रूप से गाय और बछड़े के वध करने वाले हथियारों की बरामदगी की गयी और असगर उर्फ किनकिन द्वारा अपने साथ गूठे उर्फ अकबर द्वारा घटनाक्रम किये जाने को आधार बनाते हुए इन दो व्यक्तियों के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु जानू के बयान में निसार अहमद के अलावा तीन अन्य व्यक्तियों का उल्लेख था। यदि तीन व्यक्तियों में दो व्यक्ति असगर उर्फ किनकिन और अकबर उर्फ गूठे को माना जाये तो तीसरा व्यक्ति कौन था। बिना इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये हुए पुलिस द्वारा केस को विचारण के लिए न्यायलय में प्रेषित किया गया।

51. पुलिस द्वारा की गयी विवेचना में जिन गवाहों का बयान विशेषकर ईंट पथायी का काम करने वाले मजदूरों का अंकित किया गया उनमें से किसी ने भी घटना के सम्बन्ध में कोई भी ऐसी बात नहीं बतायी है जिससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त हो सकता था इसके साथ ही अभियोजन ने किसी ऐसे साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत भी नहीं किया जो घटनास्थल के समीप का हो और घटना के सम्बन्ध में कोई प्रकाश डालता हो।

52. अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन की गिरफ्तारी के समय उसके लिये गये बयान में भी असगर ने अपने साथ अपने गांव के ही एकमात्र व्यक्ति गूठे उर्फ अकबर के साथ ईंट भट्टे पर जाकर घटना कारित करने का वर्णन किया है इसके बयान में भी अन्य ऐसा कोई वर्णन नहीं है जो अभियोजन कथानक को शेष अभियुक्तों के सम्बन्ध में कोई बल प्रदान करता हो।

53. असगर उर्फ किनकिन ने अपने बयानों में बताया है कि घटना के समय वह, गूठे उर्फ अकबर और भट्टा मुंशी जानू ही थे। भट्टा मालिक अनवर को इस बात की जानकारी है कि नहीं, वह नहीं जानता। अभियुक्त अकबर उर्फ गूठे की गिरफ्तारी के पश्चात् उसके द्वारा दिये गये बयान में उसने बताया कि उसने ईंट भट्टे के मालिक हस्साम व भट्टे के मुंशी जानू के कहने पर गौशाला से गाय और बछड़ा चुराये और असगर उर्फ किनकिन के साथ मिलकर उनका वध किया मौके पर भट्टा मुंशी और उसके तथा असगर के अलावा कोई अन्य मौजूद नहीं था। इसने यह भी बताया कि घटना में निसार अहमद पुत्र सफाउल्लाह को न तो वह जानता पहचानता है और न उससे कोई तालमेल है और न ही वह घटना में शामिल है।

54. इस प्रकार की विवेचना के अतिरिक्त अन्य कोई वैज्ञानिक विवेचना नहीं की गयी है। इस मुकदमे के अभियुक्तों के तीन क्रम हैं प्रथम हस्साम जिसका नाम उसके मुंशी जानू ने लिया उसके पुलिस को दिये गये बयानों में निसार अहमद के नाम का पुलिस ने विश्वास नहीं किया। उसने निसार अहमद के साथ तीन अन्य लोग बताये, परन्तु पुलिस ने असगर उर्फ किनकिन तथा अकबर उर्फ गूठे के बयानों के आधार पर मौके पर केवल दो लोग जानू के अतिरिक्त होना मान लिया। अभियुक्तों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक साक्ष्य यथा मोबाईल लोकेशन एवं कॉल डिटेल आदि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।

55. अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन की गिरफ्तारी के साथ–साथ उसके पास गोवध करने सम्बन्धी हथियारों का वर्णन किया गया और उसके बयान में ही अकबर उर्फ गूठे के नाम का उल्लेख किया गया। इन तीनों अभियुक्तों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जो साक्ष्य दी गयी उसकी प्रकृति निम्नवत है।

1– अभियुक्त हस्साम अनवर खान के सम्बन्ध में विवेचक जिस पर सम्पूर्ण घटनाक्रम को वैज्ञानिक एवं तात्विक रूप से सिद्ध करने की जिम्मेदारी थी, उसने यह

स्वीकार किया कि जानू उर्फ जान मोहम्मद का बयान लेने से पहले ही उसने उसे हिरासत में ले लिया था।

2– जानू उर्फ जान मोहम्मद जिसकी दौरान वाद मृत्यु हो गयी है उसका धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान न्यायालय में नहीं कराया गया, न ही अन्य अभियुक्तों जिनके द्वारा कथित रूप से एक दूसरे का नाम लिया गया उनका बयान भी न्यायालय में धारा– 164 दं०प्र०सं० के तहत नहीं कराया गया।

3– अभियुक्त हस्साम अनवर खान तथा अभियुक्त गूठे उर्फ अकबर के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी साक्ष्य एवं अभियोजन कथानक अत्यन्त संदिग्ध है। हस्साम अनवर खान के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि गाय और बछड़े के वध में उसका कोई हाथ था, न ही ऐसा कोई साक्ष्य है जो यह स्पष्ट कर सके कि उसे कथित वध की जानकारी थी।

4– पुलिस कथानक जो घटना में पाँच व्यक्तियों के सीधे शामिल होने और हस्साम अनवर खान के षड्यन्त्र पर आधारित है, सीधे सम्मिलित पाँच व्यक्तियों में से व्यक्तियों की संख्या पुलिस विवेचना में मात्र तीन रह गयी। निसार अहमद तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी साक्ष्य अभियोजन के उस प्रारम्भिक कथानक, जोकि जानू उर्फ जान मोहम्मद के बयान पर आधारित था उसको खण्डित करने वाली है।

5– पुलिस विवेचना में यह तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि जानू उर्फ जान मोहम्मद का घटना क्रम में यदि मांस का लालच था तो हस्साम अनवर खान का उसमें किस प्रकार का लालच था। ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि हस्साम अनवर के पास में इस प्रकार के जघन्य अपराध कारित करने का कोई कारण मौजूद था। उसके भट्टे, जहाँ लगभग 50 मजदूर कार्य करते हैं वह अपने कार्यस्थल अथवा उसके समीप जहाँ पर ईंट पकायी का कार्य किया जाता है। इस प्रकार का अनुचित कार्य करने के लिए तत्पर क्यों होगा।

6– इसी प्रकार अकबर उर्फ गूठे के सम्बन्ध में अभियोजन कथानक असगर उर्फ किनकिन द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये गये बयान पर आधारित है। अकबर उर्फ गूठे के सम्बन्ध में भी धारा–164 दं०प्र०सं० का कोई बयान न्यायालय में नहीं कराया गया है, न ही उन दोनों की कॉल डिटेल और लोकेशन से उन दोनों के घटनास्थल पर एक साथ होने की पुष्टि की गयी है। यहाँ तक कि विवेचक ने यह भी बताया है कि असगर के बताने के आधार पर गूठे उर्फ अकबर का नाम बढ़ाया गया था अन्य कोई साक्ष्य उसके घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में उसे प्राप्त नहीं हुआ था। हस्साम और गूठे उर्फ अकबर के पास से किसी प्रकार की बरामदगी भी नहीं की गयी है, जो बरामदगी दर्शित की गयी है वह सब

अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के पास से किये जाने का वर्णन है। इस कारण अभियोजन कथानक अकबर उर्फ गूठे तथा हस्साम अनवर खान के सम्बन्ध में अत्यधिक विरोधाभासों से ग्रस्त है। इस कारण उन्हें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

56. जहाँ तक अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन का सम्बन्ध है इसको दिनांक 11.05.2025 को अर्थात् घटना के चार–पाँच दिन पश्चात् मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बरामदगी भी इसी साक्षी की निशानदेही पर दर्शित की गयी है। घटना में प्रयुक्त किया गया हलबा हथियार अभियुक्त द्वारा बरामद कराया गया जिसमें दो अदद छुरी, एक जिसका फल 15 अंगुल, दूसरी जिसका फल 13 अंगुल, एक अदद लकड़ी का ठीहा व एक अदद रस्सी नायलान की पुरानी मटमैली लम्बाई 19 हाथ बरामद करायी गयी। अभियुक्त से की गयी बरामदगी की वीडियोग्राफी करने का भी उल्लेख है।

57. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–27 यह वर्णित करती है–

> ***"अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी–*** *परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे व संस्वीकृती की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।"*

58. अभियुक्त के पास से बरामद की गयी वस्तुओं को न्यायालय में नियमानुसार साबित किया गया है। बरामदगी के साक्षी पी०डब्लू०–1 से अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विरोधाभास दर्शित नहीं किया गया है जो उसके पास से बरादमगी को संदिग्ध बनाता हो। फर्द सरकारी वाहन के बोनट पर लिखना अथवा वहीं मौके पर बैठकर लिखे जाने का विरोधाभास गम्भीर नहीं है।

59. यह तर्क दिया गया था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी में सम्मिलित साक्षी सर्वेश चन्द द्वारा ही प्रकरण की विवेचना की गयी है जो नियमानुसार त्रुटिग्रस्त है, परन्तु पी०डब्लू०–6 के रूप में प्रस्तुत होने वाला उ०नि० सर्वेश चन्द वास्तव में प्रकरण का विवेचक है उसने विवेचक के रूप में अभियुक्त की गिरफ्तारी में योगदान किया है। इसी कारण उसके द्वारा ही थाना प्रभारी के बोलने पर फर्द अंकन का भी वर्णन किया है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि फर्द बरामदगी का गवाह होने के कारण यह प्रकरण का विवेचक नहीं हो सकता था, बल्कि यह पहले से ही प्रकरण का विवेचक था इसके द्वारा विवेचना का प्रारम्भ दिनांक–

06.04.2025 से किया गया है जबकि अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन की गिरफ्तारी दिनांक–19.05.2025 को हुई है।

60. अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन की गिरफ्तारी को विवेचक के अतिरिक्त पी०डब्लू०–1 द्वारा भी साबित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी भी मुखबिर की निशानदेही पर हुई है। असगर उर्फ किनकिन के पास गोवध से सम्बन्धित उपकरणों को बरामद होना तथा उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में घोर विरोधाभास नहीं है।

61. **आपराधिक षड्यन्त्र–** जहाँ तक आपराधिक षड्यन्त्र का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि एक गाय और एक बछड़े को चोरी कर उसकी हत्या करने में निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्ति शामिल रहे होंगे, परन्तु असगर उर्फ किनकिन के अतिरिक्त अन्य कौन व्यक्ति घटना में शामिल था इस सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य न तो संगृहीत की गयी है और न प्रस्तुत की गयी है। जानू उर्फ जान मोहम्मद द्वारा घटना में सीधे उसके अतिरिक्त चार लोगों के संलिप्त होने का कथन किया गया है जिनमें से एक निसार अहमद के अतिरिक्त तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति थे। पुलिस ने निसार अहमद की ही संलिप्तता गलत मान ली इस कारण तीन अज्ञात व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी कोई ठोस साक्ष्य एकत्रित नहीं किया, यहाँ तक कि तीन अज्ञात व्यक्तियों को दो व्यक्तियों में बदल दिया गया इस कारण आपराधिक षड्यन्त्र में शामिल सही लोगों की पहचान नहीं हुई। एक अभियुक्त को जानू उर्फ जान मोहम्मद के कहने के आधार पर शामिल कर दिया और दूसरे को असगर उर्फ किनकिन के कहने के आधार पर शामिल कर दिया। अभियोजन अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि वास्तव में घटना में कितने लोग षड्यन्त्र में शामिल थे तथा वास्तविक षड्यन्त्रकारी कौन थे। अभियोजन की साक्ष्य केवल अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के विरूद्ध है, इसलिए उसे अकेले षड्यन्त्र के लिए भी दोषी नहीं कहा जा सकता। आपराधिक षड्यन्त्र के लिए धारा–61 बी०एन०एस० में निम्न वर्णन है–

> **आपराधिक षड्यन्त्र–** (1) जब दो या अधिक व्यक्ति–
>
> (क) कोई अवैध कार्य, या
>
> (ख) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यन्त्र कहलाती है :
>
> परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यन्त्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य

उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

62. इस प्रकरण में विचारित किये जाने वाला अन्य कोई अभियुक्त आपराधिक षड्यन्त्र के लिए दोषी साबित नहीं हुआ तथा पुलिस की लचर और लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही के कारण आपराधिक षड्यन्त्र के वास्तविक अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया। **इस कारण अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के विरूद्ध धारा–61(2) बी०एन०एन० का अपराध साबित नहीं होता है।**

63. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए विवाद्यक बिन्दुओं के सम्बन्ध में यह पाया गया कि केवल अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन द्वारा घटना कारित की गयी। अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन के विरूद्ध ही प्रस्तुत साक्ष्य संदेह रहित है, अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य घोर विरोधाभासों से युक्त है। तदनुसार अभियुक्त हस्साम अनवर खान व अकबर उर्फ गूठे अपराध अन्तर्गत धारा–303(2), 61(2) बी०एन०एस० व धारा 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य हैं तथा अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन अपराध अन्तर्गत धारा–61(2) बी०एन०एस० के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है, जबकि अपराध अन्तर्गत धारा–303(2) बी०एन०एस० व धारा 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

64. अभियुक्त **असगर उर्फ किनकिन** को अन्तर्गत धारा– 61(2) बी०एन०एस० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा–303(2) बी०एन०एस० व 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध है।

65. अभियुक्तगण **हस्साम अनवर खान व अकबर उर्फ गूठे** को अंतर्गत धारा– 303(2), 61(2) बी०एन०एस० व 3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

66. अभियुक्तगण **हस्साम अनवर खान व अकबर उर्फ गूठे** जमानत पर हैं। अतः उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

67. अभियुक्तगण **हस्साम अनवर खान व अकबर उर्फ गूठे** को आदेशित किया जाता है कि धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूगण अंदर 7 दिन दाखिल करना सुनिश्चित करे।

68. दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक–25.03.2026 पेश हो।

दिनांक– 24.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP06336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–24.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP 6336

<u>दिनांक–25.03.2026</u>

69. पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

70. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि दोषसिद्ध द्वारा एक गाय व एक बछड़े को गौशाला से चुराकर उनकी गला काटकर हत्या कर दी गयी। दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः दोषसिद्ध को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

71. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दोषसिद्ध एक गरीब व्यक्ति है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर है। अतः दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड दिया जाये।

72. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

73. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोषसिद्ध ने वादी मुकदमा की गौशाला से एक गाय व एक बछड़ा की चोरी कर उनका वध किया है जिससे समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। दोषसिद्ध द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध को निम्नवत दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

74. दोषसिद्ध **असगर उर्फ किनकिन** को धारा–303(2) बी०एन०एस० के तहत 3 **वर्ष** का कठोर कारावास तथा 2,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 2 **माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

75. दोषसिद्ध **असगर उर्फ किनकिन** को धारा–3/5/8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम के तहत 5 **वर्ष** का कठोर कारावास तथा 3,00,000/–(**तीन लाख**) रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

76. सभी सजाएँ साथ–साथ चलेंगी तथा दोषसिद्ध द्वारा इस प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

77. दोषसिद्ध का सजायाबी वारन्ट बनाकर अविलम्ब अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर को अनुपालन हेतु भेजा जाये।

78. निर्णय की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं०/406 बी०एन०एस०एस० के तहत जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को प्रेषित की जाये।

79. निर्णय की एक–एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–25.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–25.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP 6336